नगर परिषद (सिटी-बोर्ड) जौनपुर की बैठक दिनांक 31.12.90 दिन सोमवार अपरान्ह 4.00 बजे श्री सीताराम यादव, अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड जौनपुर की अध्यक्षता में टाउनहाल में हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे। उनके नाम व कार्यवाही निम्न प्रकार है।

1 श्री सीताराम यादव अध्यक्ष
2 श्रीमती शान्ती देवी यादव नामित सदस्य
3 श्री मो० सलीम सदस्य
4 " मिठाई लाल "
5 " डा० सुनील श्रीवास्तव "
6 " रामअधार यादव "
7 " ओमनाथ आर्य "
8 " शिवकुमार गुप्त "
9 " बाबूलाल गुप्त "
10 " दुखलाल "
11 " अतसरजा उर्फ 'मइयमा' "
12 " वीरेन्द्र प्रताप यादव "
13 " नरेन्द्र बहादुर सिंह "
14 " मुख्तार अहमद "
15 " सै० मेंहदी हसन "
16 " मिर्जा ज्यारत हुसैन "
17 " गणेशनारायण रावत "
18 " कैलाशनाथ मौर्य "
19 " विद्यासागर सोनकर "
20 " नजार हुसैन "

अधिशासी अधिकारी
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
31.12.90

अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
31.12.90

पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने के पूर्व जो अधोहस्ताक्षरित, मान्य सभासद ने एक प्रार्थनापत्र अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अध्यक्ष ने देखा और कहा कि बैठक की कार्यवाही पूर्ण होने पर इस पर विचार आपस में कर लिया जायेगा। तदोपरान्त मान्य सभासद श्री अनसारुल एवं डा० श्री सुशील श्रीवास्तव ने कहा कि जो दैनिक वेतन पर तहबाजारी वसूलने हेतु कर्मचारी लगाये गये हैं उन्हें गत 6 माह से वेतन नहीं दिया गया है, इस भीषण मंहगाई में 120-00 प्रतिदिन पाने वाले कर्मचारी, वेतन न पाने की स्थिति में अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते होंगे, इसका अनुमान स्वयं लगाया जा सकता है, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि यदि कोई वैधानिक अड़चन नहीं है या आडिट आपत्ति नहीं है तो इसके बारे में बाद में अधिशासी अधिकारी से बात कर ली जायेगी और अधिशासी अधिकारी ने अध्यक्ष की अनुमति से कहा कि "चूँकि पद सृजित नहीं हैं इसलिये भुगतान नहीं हो रहा है और इस सम्बन्ध में पहले ही रिपोर्ट दी जा चुकी है। इस पर डा० श्री सुशील श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि बोर्ड की संस्तुति से ही उक्त तहबाजारी मोहर्रिर दैनिक वेतन पर लगाये गये हैं, अतएव मैं बोर्ड में पुनः प्रस्ताव करता हूँ कि इन दैनिक वेतन पर रखे गये तहबाजारी मोहर्रिरों को आगे निरन्तर रखा जाय और उन्हें बकाया भुगतान किया जाय, जिसका समर्थन उपस्थित सभी सदस्यों ने किया। पुनः चर्चा को दुहराते हुए डा० श्री सुशील श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि जो व्यक्ति दैनिक वेतन पर तीन वर्ष में प्रत्येक वर्षों में लगातार 240 दिन तक कार्य किये हों, उन्हें शासनादेश के तहत पद पर रखा जा सकता है, ऐसी स्थिति में उक्त तहबाजारी वसूलने हेतु रखे गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में रखने हेतु बोर्ड में प्रस्ताव करता हूँ। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि यदि नियमतः ऐसा हो सकता है, तो इसे किया जाएगा।

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मान्य सभासद श्री अनसारुल उर्फ "बड़भाजी" ने कहा कि जिस व्यक्ति से अधिकारी नाराज हो जाते हैं तो उनका वेतन रोक दिया जाता है और कोई इस बात से इनकार है। उन्होंने एक प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व में सिपाही

विभाग के वेतनभोगी पूर्व में निलम्बित थे उनमें से फाटक नामक व्यक्ति भी सफाई कर्मी था, जिसे बिना वेतन बहाल किया गया और अन्य को वेतन के साथ बहाल किया गया था, इसलिए इसे (फाटक) भी वेतन दिया जाय, इस पर अध्यक्ष की अनुमति से कार्यवाहक (कार्यालय) अधीक्षक ने कहा कि पत्रावली चल रही है, जिस पर अध्यक्ष महोदय से आदेश पारित कराना है, उसका दो-एक दिन में निस्तारण हो जायेगा।

चर्चा के दौरान श्री अनवरहुसैन ने कहा कि श्री विनयकुमार श्रीवास्तव, जो शिशुक्षु लिपिक के रूप में कार्य कर रहे हैं और वे सीनियर भी हैं, उन्हें नियमित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है और एक अन्य जूनियर को नियमित पद पर रखा गया है, इसलिये अब जो भी पद रिक्त हो उस पर इन्हें रखा जाय। श्री रामअधार यादव, मान्य सभासद ने कहा कि अगर बोर्ड पास कर दे कि श्री विनयकुमार श्रीवास्तव को रखा जाय, तो क्या श्री विनयकुमार श्रीवास्तव को प्रोन्नति की जा सकती है, और यदि ऐसा है तो मैं बोर्ड में प्रस्ताव करता हूँ, जिसे मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहता हूँ। इस पर अध्यक्ष की अनुमति से अधिशासी अधिकारी, सिटी-बोर्ड ने कहा कि पद रिक्त नहीं है चुंगी टूटने के बाद सभी चुंगी स्टाफ को करविभाग में मर्ज कर दिया गया है।

इस चर्चा को आगे बढ़ाने हेतु ज्यों ही डा० श्री उमेश श्रीवास्तव, मान्य सभासद उठ खड़े हुये और कुछ कहना ही चाहते अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसमें यदि कोई आडिट आपत्ति न हो तो, कोई बात नहीं है, और यदि आडिट आपत्ति होती है तो अलग बात होगी, इस पर श्री श्रीनाथ आर्य, मान्य सभासद ने कहा कि सिटी बोर्ड औरैया में जो दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी हैं क्या उन पर आडिट आपत्ति नहीं होती है, इस पर अधिशासी अधिकारी महो० ने अध्यक्ष की अनुमति से कहा कि उनका कोई सब्सीच्यूट (Substitute) नहीं है

जबकि कालोनियों में नगरीय स्वामित्व आ जाने से सन्तोषजनक है। फिर भी चर्चा को बढ़ाते हुए श्री आर्य ने कहा कि दैनिक वेतन पर रखे गये नहरवाली कार्यकर्ताओं को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है क्यों? इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि फिलहाल दो माह का वेतन दिला दिया जायेगा। श्री राम अवध यादव, मान्य सभासद ने कहा कि जो कर्मचारी निलम्बित किये जाते हैं उन्हें वेतन का 1/2 भाग जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है। परन्तु निलम्बित मेठ/माली श्री शम्भूनाथ श्रीवास्तव को जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा रहा है, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इसमें कमियां मेठ/माली के ही स्तर से हैं, और वे अपनी उपस्थिति कार्यालय में नहीं देते। श्री यादव, मान्य सभासद ने कहा कि किसी कर्मचारी को 6 माह से अधिक समय तक निलम्बित नहीं रखना चाहिये और श्री शम्भूनाथ मेठ/माली को निलम्बित हुये काफी दिन हो गये। श्री यादव ने कहा कि श्री शम्भूनाथ मेठ/माली को सेवा में रखना हो तो रखा जाय अन्यथा उन्हें सेवा से निकाल दिया जाय इस पर सदन में काफी रोष उत्पन्न हुआ और अन्त में यह निर्णय लिया गया कि श्री शम्भूनाथ मेठ/माली के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय क्योंकि उन्होंने एक मान्य सभासद जो स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन हैं, के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज कराकर गम्भीर अनियमितता की है।

मान्य सभासद श्री अग्रवाल ने अध्यक्ष महो० को सम्बोधित करते हुए यह प्रस्ताव रखा कि भविष्य में कोई भी जगह रिक्त हो, उस पर श्री विनयकुमार श्रीवास्तव, शिशुरक्षक लिपिक को नियुक्त करने में प्रथम वरीयता दी जाय, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने उन्हें आश्वस्त किया।

श्री विद्यासागर सोनकर, मान्य सभासद ने सदन में कहा कि अधिशासी अधिकारी महो० ने यह कथन दिया है कि पद सृजित नहीं है इसलिये दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को (Regularised) नियमित नहीं किया जा सकता, मैं यह जानना चाहता हूँ यदि पद सृजित नहीं था तो

नियुक्ति कैसे कर ली गयी ? उन्होंने पूछा कि पद कब
होता है?, नियुक्ति कैसे होती है? और नियुक्ति की
प्रथा है? इस पर अध्यक्ष की अनुमति से अधिशासी
अधिकारी ने कहा कि पद शासन द्वारा सृजित होता है
लिपिक से नीचे वेतन वाले पदों पर अधिशासी अधिकारी
को, नियुक्त करने का यू०पी० म्युनिसिपल ऐक्ट 1916 की संशोधित
धारा 75 में प्राविधान है। म्युनिसिपल ऐक्ट 1916 की संशोधित
धारा 76 में अध्यक्ष को लिपिक एवं उसके ऊपर के
सेवा कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है।

मान्य सभासद श्री जगत राम ने कहा कि
श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, जो ओवर ऐज थे, की नियुक्ति, बिना
(age exemption) उम्र में छूट की स्वीकृति प्राप्त किये ही,
ली गयी है, जिसके शासन से पत्राचार चल रहा है। नियुक्ति
के मामलों में नियमों का हवाला देकर उन्हें पहचाना
न जाय, अध्यक्ष महो० ने कहा कि कोई जगह खाली
में रिक्त होने पर श्री विनयकुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति पर
विचार किया जायेगा।

श्री बाबूलाल, मान्य सभासद ने कहा कि
नगर में गत एक माह से लगातार सड़कों पर अतिक्रमण
तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि स्टेशन रोड पर, नाला
ऊपर पाटा रखा करके निर्माण किया जा रहा है, अजमेरी
मुहल्ले में भी इसी प्रकार अन्य कई स्थानों पर अतिक्रमण
होते जा रहे हैं, इस पर श्री कैलाशनाथ मौर्य, मान्य सभासद
ने कहा कि प्रेमनगर हरिजन बस्ती में कुछ लोगों द्वारा
गली को रोककर अतिक्रमण करके से किया जा रहा है
इस पर अध्यक्ष की अनुमति से इंचार्ज रेन्ट रेवन्यू श्री
यादव ने सदन में बताया कि अतिक्रमण हटाने हेतु अभियान
चलाये जाने के लिये पुलिस बल की आवश्यकता होगी, जिसके
लिये पुलिस अधीक्षक, थाना कोतवाली, नगर मजिस्ट्रेट से
पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखे जा चुके हैं
पर सभासदगण द्वारा इस पर काफी जोर देकर कहा गया

Scanned with OKEN Scanner

एक सप्ताह के भीतर अभियान चलाया जाय और पूरे नगर में अवैध अतिक्रमणों को हटवाया जाय, ताकि आवागमन में बाधा न हो। पुनः इन्चार्ज रेन्ट रेवन्यू ने सदन में बताया कि पूर्व में केरारकोट में तथा ओलन्दगंज में मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण की जानकारी होने पर, तत्काल रोकवा दिया गया है, जिसका मामला न्यायालय के विचाराधीन है। एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने हेतु अभियान चलाये जाने हेतु सभी सभासदों ने जोर दिया।

श्री विद्यासागर सोनकर, माननीय सभासद ने कहा कि अतिक्रमण हटवाने हेतु पहले पूरे नगर में नागरिकों को सूचित कर दिया जाय, उसके बाद अभियान चलाया जाय जहाँ तक पुलिस बल की बात है दो चार पुलिस तो हर समय उपलब्ध हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर अभियान चलाने के पूर्व समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाय तथा एलान करा दिया जाय। मु० अजमेरी एवं पानदरीबा में हुये अतिक्रमण के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र भी अध्यक्ष को प्रस्तुत किया।

	प्रस्ताव	निर्णय
1.	पिछली बैठक दिनांक 10-10-90 की कार्यवाही वाचन पुष्टि।	पढ़ी गयी एवं पुष्ट की गयी।
2.	सिटी बोर्ड जौनपुर का वित्तीय वर्ष 1990-91 का संशोधित आय-व्ययक मय विवरणों और व्याख्यात्मक आख्याओं (कमेन्ट्री रिपोर्ट) परिषद विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु।	संशोधित व आयव्ययक के सम्बन्ध में श्री मिर्जा ज्याउल हुसैन माननीय सभासद ने कहा कि आय व्ययक विवरण एक सप्ताह पूर्व देना चाहिये था। अध्यक्ष ने बताया चूंकि आय व्ययक वित्त कमेटी की बैठक में 28.12.90 को पारित किये जाने हेतु रखा गया था इस कारण इसके पूर्व एजेन्डा के साथ भेजा जाना संभव नहीं था और

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
	यह वित्त कमेटी की बैठक दिनांक 28.12.90 में पारित होने के पश्चात बोर्ड की स्वीकृति हेतु रखा गया है, तब सभी मान्य सभासदों ने संशोधित आय व्ययक को पारित किए जाने पर सहमति प्रदान की और सर्व सम्मति से संशोधित आयव्ययक (1990-91) पारित किया गया।
3 सिटी बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1990-91 के माह सितम्बर 90 का मासिक आय व्ययक लेखा विवरण पत्रादि परिषद अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
4. सिटी बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1990-91 के माह अक्टूबर 90 का मासिक आय व्ययक लेखा विवरण पत्रादि परिषद के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
5. सिटी बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1990-91 के माह नवम्बर 90 का मासिक आय व्ययक लेखा विवरण पत्रादि परिषद के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु	स्वीकार।
6 पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य हेतु दैनिक मजदूरी पर	स्वीकार।

Scanned with OKEN Scanner

31.12.90

प्रस्ताव	निर्णय
रखे गये 25 स्वच्छकारों का कार्यकाल 1.11.90 से 31.12.90 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभागीय आख्या मय अधिशासी-अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति परिषद अनुमोदन हेतु।	
7 पालिका सफाई विभाग में 3 ट्रैक्टरों पर 9 सफाई बेलदार स्वच्छकार कर्मचारियों को स्वीकृत दैनिक मजदूरी रु015.00 पर रखने की स्वीकृति 1.11.90 से 31.12.90 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभागीय आख्या मय अधिशासी-अधिकारी, व अध्यक्ष की संस्तुति परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
8. पालिका जलकल विभागीय नलकूपों के संचालन हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन २०/- पर 39 पम्प अटेन्डेन्टों का कार्यकाल 1.11.90 से 31.12.90 तक बढ़ाये जाने को जलकल विभागीय आख्या मय अधिशासी-अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
9. पालिका जलकल विभाग की पाइप लाइनों के रख रखाव हेतु	स्वीकार।

प्रस्ताव -	निर्णय -
स्वीकृत दैनिक वेतन 15/- प्रति दिन पर रखे गये ड्राइवरों का कार्यकाल 1.11.90 से 31.12.90 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जलकल विभागीय आख्या मय अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति परिषद अनुमोदन हेतु।	
10 पालिका प्रकाश विभाग में विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में स्वीकृत दैनिक वेतन 20/- पर रखे गये मिस्त्री का कार्यकाल दिनांक 1.11.90 से 31.12.90 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रकाश विभागीय आख्या मय अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
11. पालिका अध्यक्ष का प्रस्ताव कि यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 की धारा 104(i) (बी) के तहत पठित पालिका रेगुलेशन संख्या 21 में घोषित प्राविधानानुसार वर्ष 1990 में गठित पालिका की 9 समितियों का कार्यकाल 31.12.90 को समाप्त हो रहा है, इसे अग्रेतर एक वर्ष के लिये बढ़ाने अथवा समिति के सदस्यों के नवनिर्वाचन हेतु नामांकन की तिथि, नाम वापसी की तिथि तथा मतदान की	सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, (1) कमेटियों के नामांकन हेतु 23. (2) नाम वापसी की तिथि 25.1. तथा यदि आवश्यक हुआ तो चुनाव की तिथि 28.1.91 निश्चित की गयी।

प्रस्ताव	निर्णय
तिथि निश्चित करने हेतु परिषद के विचारार्थ एवं आदेशार्थ।	

अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से,

सिटी बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 31.12.90 के लिये विशेष पूरक प्रस्ताव (एजेण्डा)

प्रस्ताव	निर्णय
आवेदनपत्र दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पम्प अटेन्डेन्ट तथा बेलदार जलकल विभाग, सिटी-बोर्ड जौनपुर कि उनके दैनिक मजदूरी की दरें रु 20/- प्रतिदिन (पम्प अटेन्डेन्ट का) तथा 15/- प्रतिदिन (जलकल बेलदारों का) की दरों में उ०प्र० वित्त सामान्य अनुभाग-2 शासनादेश संख्या जी-2-1232/10-30/-85 दिनांक 15-10-90 द्वारा दैनिक मजदूरी की दरें समूह "ग" के कर्मचारियों का 20/- से 30/- प्रतिदिन तथा समूह "घ" के कर्मचारियों का 15/- से 25/- प्रतिदिन दिनांक 15-10-90 से दिया जाना निश्चित हुआ है, के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि जलकल विभाग के पम्प अटेन्डेन्ट समूह "ग" की श्रेणी में नहीं आते तथापि समय-समय पर बढ़ती हुयी मंहगाइयों को दृष्टिगत·	सर्व सम्मति से स्वीकार।

31.12.90

प्रस्ताव .	निर्णय :-

रखते हुये बोर्ड के पूर्व
पूरक प्रस्ताव सं० 2 दिनांक
25.2.89 में इन्हें सफाई
कर्मचारियों व जलकल बेलदारों
से बेहतर महत्वपूर्ण कार्य
करने का कार्य ध्यान में
रखते हुये 20/- स्वीकार हुआ
था और इस प्रकार इन्हें
समूह "ग" का कर्मचारी माना
गया, के आधार पर इनकी
दैनिक मजदूरी शासनादेश
दिनांक 15-10-90 के प्रभावी
होने की तिथि यानी 15-10-90
से 30/- प्रतिदिन और इसी-
क्रम में समूह 'घ' के श्रेणी
में आने वाले सफाई कर्मियों
तथा पाइप लाइनों के रखरखाव
हेतु रखे गये जलकल बेलदारों
को 25/- रुपये प्रतिदिन दैनिक
मजदूरी स्वीकार करने सम्बन्धी
प्रस्ताव तथा इस पर होने वाले
अतिरिक्त व्ययभार का प्राविधान
वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक
में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव
परिषद अनुमोदित हेतु।

अन्त में मान्य सभासद श्री [illegible] द्वारा स्लाटर हाउस की गंदगी की ओर ध्यान दिलाया गया, जिसकी समुचित सफाई कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अधिशासी अधिकारी,
सिटी बोर्ड
जौनपुर
31.12.90

अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड
जौनपुर
31.12.90